कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश

संख्या-एम०ई०-3/पीजी-2025/ 1339 लखनऊ: दिनांक 25 जून,2025

यू०पी० नीट- एम०डी०एस० 2025 की प्रथम चक की ऑनलाइन काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश

- नीट एम०डी०एस०-2025 की प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित किए गये अभ्यर्थी ही यू०पी० नीट एम०डी०एस० 2025 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है।
- नीट एम०डी०एस०-2025 की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले समस्त अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा विभागीय वेबसाइट https://upneet gov.in पर लॉगिन कर पंजीकरण किया जायेगा।
- अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण शुल्क रु० 3,000/- ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य है। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा अर्थात पंजीकरण शुल्क Non Refundable है।
- अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित तालिका में उल्लिखित सिक्योरिटी धनराशि ऑन-लाइन माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगेः-

क्र०सं०	विवरण	धरोहर धनराशि (Security Money)
1.	राजकीय क्षेत्र की एम०डी०एस० पाठ्यक्रम की सीटों हेतु	रू० 30,000 (रु० तीस हजार मात्र)
2.	निजी क्षेत्र की एम०डी०एस० पाठ्यक्रम सीटों हेतु	1,00,000 (रु० एक लाख मात्र)

- कांउसिलिग में प्रतिभाग किये जाने हेतु धरोहर धनराशि (Security Money) रु० 1,00,000 जमा करने पर अभ्यर्थी राजकीय एवं निजी दोनों क्षेत्र के डेन्टल कालेजों की सीटों हेतु अर्ह होगे।
- अभ्यर्थी द्वारा राजकीय / निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेज की सीटो पर आवंटन हेतु अपनी वरीयता के आधार पर ऑनलाइन च्वाईस भरी जाये। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- ऑनलाइन च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी सीट आवंटन प्रकिया से स्वतः बाहर जो जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।
- निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा शासन/ अल्पसंख्यक संस्था द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) का सी०टी०एस० बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० (Director General Medical Education & Training U.P payable at Lucknow) के पक्ष में निर्गत हो. संबंधित नोडल सेन्टर पर जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं का फी-स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट https://upneet.gov.in एवं www.dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है।
- निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेज शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क से कम शुल्क लिये जाने हेतु स्वतंत्र है, किन्तु निर्धारित शिक्षण शुल्क से कम शुल्क लिये जाने के संबंध में डेण्टल कालेज के प्रतिनिधि द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के संबंध में उक्त आशय का अण्डरटेकिंग संबंधित नोडल अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- राजकीय क्षेत्र की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया संबंधित विश्वविद्यालय स्तर पर सम्पन्न की जायेगी।

- निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया नामित नोडल सेन्टरों पर सम्पन्न करायी जायेगी। नोडल सेन्टरों की सूची नीट एम0डी0एस0 2025 की काउंसिलिंग हेतु जारी ब्रोशर में प्रदर्शित है, जो कि विभागीय वेबसाइट https://upneet.gov.in एवं www.dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है।

- उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय उनका अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2025 अथवा इसके पश्चात् का बना होना अनिवार्य है।

- आरक्षण (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होगें।

- भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण-पत्र मान्य नही होगा।

- दिव्यांगजनो के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एम0सी0सी0 द्वारा निर्धारित केन्द्रो से निर्गत एंव निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगें।

- आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु राजकीय डेण्टल कालेज / संबंधित नोडल सेन्टर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है।

- आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को अपने समस्त शैक्षणिक / आरक्षण सम्बन्धी एवं अन्य प्रमाण पत्र आवंटित राजकीय डेण्टल कालेज / संबंधित नोडल सेन्टर पर प्रवेश के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को डेण्टल कालेज/नोडल सेन्टर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है।

Help Line Numbers - 8189011696, 8189011697, 8189011698, 8189011699, 8189011700

कृते महानिदेशक

संख्या-एम०ई०-3/2025/